

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर, जिला-दौसा

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्सजजसन्तरा..... बनाम..... कजोड सिंह मु.नं. 84/24-(दौसा)	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम तामील में जारी हुए
	<p>07-3-15</p> <p>पतापत्नी पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। पतापत्नी अपने समय से तलबी में लंबित है। वादी को बार-बार निर्देशों के बावजूद नामिले। उन रकमों पेश नहीं की जा रही है और निर्देशों की अवहेलना की जा रही है। इससे स्पष्ट है कि वादी पतापत्नी में कोई कार्यवाही के लिए इच्छुक नहीं है। इसलिए पतापत्नी में आग्रिम कार्यवाही किया जाना सम्भव नहीं है। अतः पतापत्नी आदेश 9 नियम 2 PC (जहां सम्मनों की नामिल, सर्वे देने में वादी के असफल रहने के परिणामस्वरूप नहीं हुई है वहां वाद का खारिज किया जाना) के अन्तर्गत प्रवृत्त प्राधानों का प्रयोग उचित खारिज की जाती है। पतापत्नी केवल शुभारंभ होकर खारिज स्तर हो।</p> <p style="text-align: center;">उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)</p>	